27

न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी –दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण सख्या –33/2016

वादीया :–

श्रीमति मोकीदेवी पत्नी जैसारामजी जाति पुरोहित साकिन खाण्डादेवल तहसील जसवंपतुरा जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. वालाराम पुत्र समेलाजी जाति पुरोहित साकिन खाण्डादेवल
2. शंकराराम पुत्र समेलाजी जाति पुरोहित साकिन खाण्डादेवल
3. गमनाराम पुत्र समेलाजी जाति पुरोहित साकिन खाण्डादेवल तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
4. श्रीमती पवनी पुत्री समेलाजी पत्नी प्रतापजी जाति पुरोहित साकिन दौलपुरा तहसील रानीवाडा
5. श्रीमति मोरी पुत्री समेलाजी पत्नी मकनाजी जाति पुरोहित साकिन डुंगरी तहसील रानीवाडा जिला जालोर
6. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा तहसील जसवंतपुरा

दावा बाबत विभाजन खातेदारी भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 राज. कास्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः 10-1-2018

उपरोक्त अनवान के प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2017 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा खाण्डादेवल के वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 3.55 हैक्टेयर वादीया एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के मध्य माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाकर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार जसवंतपुरा से प्राप्त किये जावे। तहसीलदार जसवंतपुरा माफिक राजस्व रेकर्ड विभिन्न रंगो मे विभाजन को प्रस्तावित करते हुए लगान आदि निश्चित कर नक्शा किस्तवार की प्रति सहित विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार जसवंतपुरा से चाहे जाने पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–

मौकी देवी पत्नी जैसाराम जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
78 मे से	1.775 .	चा.दो. 1.065 जा.दो. 0.710	31.95 7.10	हरा
			39.05	

वालाराम शंकराराम गमानाराम पि. समेला पवनी मोरी पुत्री समेला कौम पुरोहित सा. खाण्डादेवल				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
78 मे से	1.775 .	चा.दो. 1.065 जा.दो. 0.710	31.95 7.10	लाल
			39.05	

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित, जिनके द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया लेकिन किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में अथवा मौखिक मे प्रस्तुत नही कर उक्तानुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

किया गया। साथ ही अन्य किसी पक्षकार की और से किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत नही हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

मौकी देवी पत्नी जैसाराम जाति पुरोहित सा. खाण्डादेवल				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
78 मे से	1.775 .	चा.दो. 1.065	31.95	हरा
		जा.दो. 0.710	7.10	
			39.05	

वालाराम शंकरराम गमानाराम पि. समेला पवनी मोरी पुत्री समेला कौम पुरोहित सा. खाण्डादेवल				
खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	रंग
78 मे से	1.775 .	चा.दो. 1.065	31.95	लाल
		जा.दो. 0.710	7.10	
			39.05	

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान के बंट में आई आराजी के हिस्से व कब्जे कास्त में एक दुसरे में दखल अंदाजी नही करे एवं नही किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को माफिक निर्णय तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-1-2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
मु. भीनमाल

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner